न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –402/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2022/511

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सुभाष पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी फिड़ौद तहसील मूण्डवा जिला नागौर राज0		तहसीलदार, नागौर, राज0

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गोविन्द कडवा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।

निर्णय **दिनांक :– 08.08.2023**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 275/2022 सरकार बनाम सुभाष में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.12.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का, नागौर द्वारा अपीलांट के विरूद्व एक रिपोर्ट तहसील कार्यालय नागौर में इस आशय की पेश की कि अपीलांट/अप्रार्थी ने नागौर के खसरा नं. 338/667 बारानी 4 रकबा 1619 वर्गमीटर पर कृषि वर्ष 2079 में अतिचार किया है। जिस अपीलांट/अप्रार्थी को नोटिस जारी किया, जिसमें अपीलांट को खसरा नं. 338/669 पर अतिक्रमी बताकर नोटिस दिया जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट खसरा नं. 338/669 की थी हालांकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी बिना मौका जांच व नाप चोप किये, बिना पुराने कब्जा का सबूत लिये पेश हुई है मगर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में दर्ज खसरा नम्बर से भिन्न खसरा नम्बर पर अतिचार का नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब पेश कर निवेदन कर दिया कि गेर सायल व उसके परिवार का पुराने समय से कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आया है तथा पीढ़ियों से कब्जा निरन्तर निर्बाध रूप से रहा है, भूमि बारानी –4 है जिस पर हाल ही में संवत 2079 का नया कब्जा करना पटवारी ने गलत बताया है पुराने कब्जे के संबंध में जानबूझ कर जांच नहीं की है तहसीलदार जी अपने स्तर पर जांच करे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जावेगी, गेर सायल के विरूद्व किसी भी नागरिक की कोई शिकायत नहीं हुई है पटवारी हल्का को समूह विशेष के लोगों ने उकसा कर गलत रिपोर्ट पेश करवाई है जिससे नोटिस की कार्यवाही ड्रोप करने व स्वयं के स्तर पर जांच करने तथा गेर सायल को गवाह सबूत पेश करने व पटवारी से जिरह आदि का अवसर प्रदान करने का निवेदन किया। तत्पश्चात अपीलांट को गवाह सबूत पेश करने का अवसर दिये व पटवारी बयान लिये बिना व जिरह का अवसर दिये बिना अपीलांट को सरसरी तौर पर ही नागौर के खसरा नं. 338/667 रकबा 1619 वर्गमीटर किस्म बारानी 4 पर बाड़ बनाकर कब्जा करना बताकर अतिक्रमी घोषित कर उक्त भूमि से बेदखल करने व 15/–रूपये शास्ति अधिरोपित करने का एकतरफा निर्णय दिनांक 4.10.2022 को पारित कर दिया, उक्त निर्णय की अपीलांट को जानकारी नहीं थी हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर आया व अपीलांट के विरूद्व निर्णय करवा लेने से उसको बेदखल करने की धमकियां दी तब पता करवाया व नकलो का आवेदन पेश करने पर

कलक्टर नागौर

दिनांक 15.12.2022 को प्रमाणित प्रतियां मिलने पर जानकारी होने से कानूनी राय लेकर उक्त अवैधानिक रूप से पारित निर्णय के विरूद्ध अपील पेश है जिसे उपरोक्त परिस्थितियो में एवं न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए मयाद प्रार्थना पत्र मय अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थी/अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने विलम्ब के संबंध में मयाद प्रार्थना पत्र के साथ स्वंय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः न्यायहित में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस ममें कथन किया कि पटवारी हल्का नागौर द्वारा अपीलांट के विरूद्व एक रिपोर्ट तहसील कार्यालय नागौर में इस आशय की पेश की कि अपीलांट/अप्रार्थी ने नागौर के खसरा नं. 338/667 बारानी 4 रकबा 1619 वर्गमीटर पर कृषि वर्ष 2079 में अतिचार किया है। पटवारी हल्का अमरपुरा की कथित एकतरफा मिथ्या रिपोर्ट पर उपरोक्त प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया, जिसमें अपीलांट को खसरा नं. 338/669 पर अतिकमी बताकर नोटिस दिया जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट खसरा नं. 338/669 की थी हालांकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी बिना मौका जांच व नाप चोप किये, बिना पुराने कब्जा का सबूत लिये पेश हुई है मगर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में दर्ज खसरा नम्बर से भिन्न खसरा नम्बर पर अतिचार का नोटिस दिया गया व अपीलांट को तलब किया गया। अपीलांट को नोटिस मिलने पर दिनांक 2.9.2022 को लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट को नोटिस गलत आधारों पर दिया है उक्त भूमि पर गेर सायल व उसके परिवार का पुराने समय से कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आया है तथा पीढ़ियों से कब्जा निरन्तर निर्बाध रूप से रहा है पूर्वजों के नाम से समय समय पर पुराने कब्जे के आधार पर नोटिस भी जारी किये जाते रहे है तथा भूमि बारानी 4 है जिस पर हाल ही में संवत 2079 का नया कब्जा करना पटवारी ने गलत बताया है पुराने कब्जे के संबंध में जानबूझ कर जांच नहीं की है पुराने बाड़े के संबंध में तहसीलदार जी अपने स्तर पर जांच करे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जावेगी, पटवारी ने रंजिशवश मिथ्या रिपोर्ट पेश की है। गेर सायल के विरूद्व किसी भी नागरिक की कोई शिकायत पूर्व में कभी नहीं हुई है अब पटवारी हल्का को समूह विशेष के लोगों ने उकसा कर गलत रिपोर्ट पेश करवाई है उक्त जायगा का समय–समय पर सुधार कर लाखों रूपये खर्च किये हुऐ है नोटिस की कार्यवाही ड्रोप की जाने योग्य होने से ड्रोप करने व स्वयं के स्तर पर जांच करने तथा गेर सायल को गवाह सबूत पेश करने व पटवारी से जिरह आदि का अवसर प्रदान करने का निवेदन किया। तत्पश्चात अपीलांट को गवाह सबूत पेश करने का अवसर दिये व पटवारी बयान लिये बिना व जिरह का अवसर दिये बिना अपीलांट को सरसरी तौर पर ही नागौर के खसरा नं. 338/667 रकबा 1619 वर्गमीटर किस्म बारानी–4 पर बाड़ बनाकर कब्जा करना बताकर अतिक्रमी घोषित कर उक्त भूमि से बेदखल करने व 15 रू. शास्ति अधिरोपित करने का एकतरफा निर्णय दिनांक 4.10.2022 को पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर उसके विरूद्व यह अपील पेश की है।

लायक अदालत मातहत तहसीलदार नागौर का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत, दुर्भावनापूर्वक, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना सुनवाई किये, बिना वास्तविक जांच किये, बिना अतिक्रमी साबित हुऐ ही पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होगा कि प्रथम आदेशिका दिनांक 17.6.2022 में पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश होना बताया है व उसमें खसरा नं. 338/667 मौजा नागौर लिखा हुआ है जबकि तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलांट को खसरा नं. 338/667 पर अतिचार के संबंध में आज तक कोई नोटिस नहीं दिया है और इस खसरा बाबत नोटिस दिये बिना ही इस खसरा के रकबा 1619 वर्गमीटर पर अपीलांट को अतिक्रमी बताकर एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है।

कलक्टर नागौर

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट खसरा नं. 338/667 के संबंध में पेश होना बताया जा रहा है और तहसीलदार ने अपीलांट को जो नोटिस दिया वह नोटिस मौजा नागौर के खसरा नं. 338/669 के संबंध में दिनांक 17.6.2022 को जारी किया गया है जबकि खसरा नं. 338/669 की कोई पटवारी की रिपोर्ट पत्रावली में है भी नहीं, इसके बावजूद विरोधाभाषी तथ्य व मनमर्जी से खसरा नम्बर दर्ज करते हुऐ येन केन प्रकारेण अपीलांट को तंग परेशान करने के दुराशय से सारी गैर कानूनी कार्यवाही की गयी है जो अपने आप में अवैध, विरोधाभाषी, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये की होने से दुषित है, जिससे निर्णय जैर अपील कतई स्थित रहने योग्य नहीं है खारिज किये जाने योग्य है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्वात है कि पटवारी हल्का यदि कोई रिपोर्ट अतिक्रमण बाबत पेश करता है तो उसी खसरा नम्बर का हवाला देकर गेर सायल को तलब कर उसकी पुरी सुनवाई की जानी चाहिए, किसी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में दर्ज खसरा नम्बर से भिन्न खसरा नम्बर दर्ज कर गेर सायल को नोटिस देने का तहसीलदार को अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा गेर सायल ने जवाब पेश कर गवाह सबूत पेश करने व पटवारी हल्का से जिरह आदि करने का अवसर देने का लिखित में निवेदन करता है तो उसे और गवाह सबूत पेश करने, पटवारी के बयान लेकर पटवारी से जिरह करने का अवसर गेर सायल को दिया जाना चाहिए व स्वयं के स्तर पर जांच करने का निवेदन करने पर तहसीलदार को स्वयं के स्तर पर भी जांच करनी चाहिए, मगर प्रकरण हाजा में ऐसा कुछ भी नहीं किया है न तो तहसीलदार ने स्वयं के स्तर पर कोई जांच की न पटवारी से जिरह करने का अपीलांट को अवसर दिया न अपीलांट को गवाह सबूत पेश करने का अवसर दिया, यदि अपीलांट से जिरह करने का अवसर दिया जाता व तहसीलदार स्वयं मौका निरीक्षण करते तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते तो इस तरह के विरोधाभाषी कथन दर्ज करते हुऐ निर्णय पारित नहीं हो सकता था, उपरोक्त हालात में सारी स्थिति न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हो जाने से ऐसे अवैधानिक व निरंकुश निर्णय को अपास्त किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है क्योकि ऐसा निर्णय अपने आप में विधि विरूद्व है फिर भी उसकी पालना के नाम पर अपीलांट को उसके पीढियो पुराने कब्जासुद बाड़े से बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है जो कतई उचित नहीं है क्योकि जिस निर्णय के आधार पर बेदखल करने पर आमादा है वह निर्णय स्वयं पालना करवाने योग्य नहीं है हस्तक्षेप योग्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट का मौके पर पीढियो पुराना कब्जा उपयोग बाड़े के रूप में रहता चला आया है चारो तरफ पुरानी बाड़ की हुई है अपीलांट के पूर्वज वहां भेड़ बकरिया रखते, वहीं पर उनकी रखवाली करने हेतु रहते थे व ऐवाड़ा के रूप में काम में लेते, वर्तमान में भी अपीलांट ने लाखो रूपये लगा कर सुधार किया है अपीलांट के पत्थर वगैरा मौके पर पड़े है किसी भी रूप में उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आती है बारानी 4 है आस पास कई लोगो के पुराने कब्जे के आधार पर नियमन हो रखे है अपीलांट भी नियमन का पात्र है अपीलांट के विरूद्व किसी भी व्यक्ति की कोई शिकायत कभी नहीं रही है न उक्त भूमि कभी सार्वजनिक या सरकारी उपयोग में आई है न आने का प्रश्न ही पैदा होता है समय समय पर जारी सरकारी परिपत्रो के अनुसार अपीलांट का पीढियो पुराना कब्जा होने से उक्त भूमि का विधिनुसार स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश/निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व, बिना सुने, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया होने से खारीज किये जाने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में वकील अपीलान्ट की बहस में कथन किया कि ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 338/667 रकबा 1619 वर्गमीटर किस्म बारानी–4 भूमि पर अपीलांट द्वारा बाड़ बनाकर कब्जा करने की पटवारी नागौर व निरीक्षक भू अभिलेख नागौर की रिपोर्ट पर अपीलान्ट के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को दिनांक 17.06.2022 को नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस में लिपिकीय त्रुटिवश खसरा नम्बर 338/667 के स्थान पर 338/669 अंकित हो गया। केवल इस आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार नहीं की जा सकती है। अपीलान्ट द्वारा उक्त खसरा नम्बर 338/667

कलक्टर नागौर

की भूमि पर बाड़ बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय जैर अपील दिनांक 04.10.2022 को पारित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखली आदि का आदेश दिया गया है, जो पूर्णतया सही होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। तहसील कार्यालय से प्राप्त राजस्व रेकार्ड मूल पत्रावली के अवलोकन से पटवारी(भू)अभिलेख,नागौर द्वारा ग्राम नागौर की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 338/667 रकबा 1619 वर्गमीटर किस्म भूमि बारानी पर अपीलांटन द्वारा बाड़ कर कब्जा करने पर सम्वत् 2079 में नाजायज कब्जा मानते हुवे तहसीलदार,नागौर को अपीलांट के विरूद्व दफा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही करने हेतु अपनी रिपोर्ट पेश की हैं।

तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण दिनांक 17.06.2022 को दर्ज कर गैर सायल(अपीलांट) को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से इस प्रकरण में उनके अभिभाषक श्री गोविन्द कड़वा द्वारा दिनांक 25.07.2022 को वकालतनामा व आवेदन–पत्र पेश किया,जो संलग्न पत्रावली हैं। इस प्रकरण में वकील अपीलांट का मुख्य तर्क यह हैं कि उनको प्रकरण की सुनवाई हेतु जारी नोटिस में खसरा नम्बर 338/669 दर्ज हैं,जबकि निर्णय खसरा नम्बर 338/667 का पारित किया गया हैं। इस सम्बन्ध में हमारा मत हैं कि प्रकरण में जारी नोटिस के बाद गैर सायल(अपीलांट) के अभिभाषक उपस्थित हो गये थे तथा उनके द्वारा पत्रावली का अवलोकन भी किया हैं,जिससे उनको यह पूरी जानकारी हो चुकी हैं कि हस्तगत प्रकरण खसरा नम्बर 338/667 से सम्बन्धित का ही हैं,फिर भी इस प्रकार के तथ्यों से इस अपील में अपीलांट को कोई अधिकार नहीं बनता हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पटवारी हल्का की टी.पी. रिपोर्ट के अवलोकन से गैर सायल(अपीलांट) द्वारा राजकीय भूमि किस्म बारानी 4 खसरा नम्बर 338/667 रकबा 1619 वर्गमीटर पर बाड़ बनाकर कब्जा किया हैं। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि के अधिकार स्वरूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये हैं। जिससे प्रथम दृष्टया यही साबित है कि गैर सायल(अपीलांट) द्वारा राजकीय भूमि पर बिना किसी अधिकार के सम्वत् 2079 में बाड़ बनाकर कब्जा किया हैं,जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार,नागौर द्वारा इस प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2022 में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की हैं। वकील अपीलांट का इस प्रकरण में यह बिन्दू रहा हैं कि उन्हें मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया हैं। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट हैं कि तारीख पेशी दिनांक 25.07.2022 की आदेशिका पर गैर सायल सुभाष स्वयं उपस्थित रहा हैं एवं उनके अभिभाषक का भी वकालतनामा उसी दिन पत्रावली में पेश किया गया हैं तथा प्रकरण में दिनांक 04.10.2022 को निर्णय पारित किया गया हैं। इस प्रकार प्रकरण में गैर सायल(अपीलांट) को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुवे निर्णय दिया गया जो विधिवत हैं एवं तहसीलदार,नागौर द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत भूमि राजकीय होने से तथा इस प्रकार की भूमि पर अपीलांट को किसी प्रकार के हितनिहित नहीं के कारण यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय को उनको मूल रिकार्ड पुनः लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाय गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर